श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड–249199
Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay
Badshahithaul, Tehri Garhwal–249 199
Tel. : 01376 – 254065 (O)
Fax : 01376 – 254065
Website: www.sdsuv.ac.in

पत्रांक : 4903/SDSUV/प्रशासन/2022–23 दिनांकः– 02 अक्टूबर, 2022

ट्रेवल एजेन्सियों के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय में परीक्षाओं एवं अन्य विभागीय कार्यो के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, एवं टिहरी गढवाल की पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सियों से डीजल/पेट्रोल सहित वाहनों को **(वर्ष 2022–23) दिनांक– 20 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक (लगभग 06 माह)** के लिये किराये पर लेने हेतु परिवहन विभाग में पंजीकृत फर्मो/ट्रेवल एजेन्सियों/वाहन स्वामियों को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों के तहत पंजीकृत किये जाने हेतु मुहर बन्द निविदायें स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से **दिनांक– 02 अक्टूबर, 2022 से 20 अक्टूबर, 2022 अपराह्न 2:00** बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sdsuv.ac.in पर देखी जा सकती है। जिन फर्मो के द्वारा पूर्व में ही निविदा विश्वविद्यालय को प्रेषित की गयी है उन फर्मो को पुनः निविदा प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

(के0आर0 भट्ट)
कुलसचिव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति जी को, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. समाचार सम्पादक, अमर उजाला, नई टिहरी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का साईज **6X4 से0मी0 में दिनांक** 03/10/2022 के उत्तराखण्ड गढवाल संस्करण में (10 प्रतिशत छूट के साथ) प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समाचार सम्पादक, दैनिक भास्कर, नई टिहरी, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का साईज **6X4 से0मी0 में दिनांक** 3/10/2022 के उत्तराखण्ड गढवाल संस्करण में (10 प्रतिशत छूट के साथ) प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य वित्त अधिकारी।
5. विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
6. कार्यालय प्रति।
7. F.M. Advertisement Agency DDN को उपरोक्त अखबारों में प्रकाशन की प्रकाशन हेतु।

(के0आर0 भट्ट)
कुलसचिव।

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199
Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay
Badshahithaul, Tehri Garhwal–249 199

Tel. : 01376 – 254065 (O)
Fax : 01376 – 254065
Website: www.sdsuv.ac.in

पत्रांक :– ५५०४/SDSUV/प्रशासन/2022–23 दिनांकः– 02 अक्टूबर, 2022

ट्रेवल एजेन्सियों के पंजीकरण सूचना

विश्वविद्यालय में परीक्षाओं एवं अन्य विभागीय कार्यों के लिए **देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी गढवाल** की पंजीकृत ट्रेवल ऐजेन्सियों से डीजल/पेट्रोल सहित वाहनों को **वित्तीय (वर्ष 2022–23) 20 अक्टूवर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक (लगभग 06 माह)** के लिए किराये पर लेने हेतु परिवहन विभाग में पंजीकृत फर्मों/ट्रेवल ऐजेन्सियों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 06 एवं उत्तराखण्ड परिवहन आयुक्त, कार्यालय, देहरादून के आदेश दिनांक 18.02.2020 की निर्धारित दरों पर अथवा उनसे कम दरों पर वाहनों की परीक्षा कार्यों एवं अन्य विभागीय कार्यों हेतु आपूर्ति करना चाहते हैं, तो उससे सम्बन्धित अभिलेख श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों के तहत पंजीकरण किये जाने हेतु **दिनांक– 02 अक्टूवर, 2022 से दिनांक 20 अक्टूवर, 2022 अपराह्न 2:00 बजे** तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से पंजीकरण प्रपत्र आमन्त्रित किये जाते हैं (ताकि भविष्य में आवश्यतानुसार वाहन आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया जा सके), जो उसी **दिनांक 20 अक्टूवर, 2022 अपराह्न 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जायेगी**, पंजीकरण आपूर्तिकर्ता भी यदि इच्छुक हो उपस्थित रह सकते हैं। पंजीकरण प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sdsuv.ac.in से डाउनलोड कर प्रपत्र के साथ पंजीकरण प्रपत्र के मूल्य के रू0 1,000.00 + GST(रू0 एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, **'वित्त अधिकारी, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल'** के नाम संलग्न करना होगा। अपेक्षित नियम–शर्तें प्रपत्र के साथ संलग्न है।

पंजीकरण प्रपत्र के ऊपर ट्रेवल एजेन्सियों से वाहन दरों हेतु पंजीकरण – 2022 लिखना आवश्यक है। पंजीकरण प्रपत्र में निर्धारित पंजीकरण शुल्क रू0 10,000/– (दस हजार रुपये मात्र) केवल बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में वित्त अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम जमा करना आवश्यक है।

आवश्यक शर्तें :–

1. पंजीकरण हेतु केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर ही मान्य होगी।
2. पंजीकरण धनराशि रुपये 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ0 डी0आर0 जो कि वित्त अधिकारी श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल के पदनाम संलग्न किया जाना आवश्यक है। बिना पंजीकरण राशि के पंजीकरण स्वीकार नही होगी।
3. फर्म का दो वर्षों (प्रति वर्ष) का वार्षिक टर्न ओवर रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) का हैसियत प्रमाण पत्र जो कि 06 माह से पुराना न हो (संलग्न किया जाय)।
5. पंजीकरण की दरें समस्त व्यय एवं करों सहित देनी होगी। अलग से किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
6. आपूर्तिकर्ता का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

7. आपूर्तिकर्ता को दो लिफाफे बनाने होगे। एक लिफाफा तकनीकी पंजीकरण तथा दूसरा लिफाफा वित्तीय पंजीकरण का बनाना होगा। तकनीकी पंजीकरण के लिफाफे के ऊपर तकनीकी पंजीकरण तथा वित्तीय पंजीकरण के लिफाफे के ऊपर वित्तीय पंजीकरण अंकित किया जाय। दोनों लिफाफों को एक ही लिफाफे के अन्दर रखकर सीलबन्द करके लिफाफों के उपर "परीक्षा कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के वाहनों को एक वर्ष तक किराये पर लिये जाने हेतु पंजीकरण" अंकित करना होगा।

8. यदि तकनीकी पंजीकरण के अन्दर वांछित प्रमाण पत्र नहीं पाये जाते हैं, तो वित्तीय पंजीकरण का लिफाफा नहीं खोला जायेगा।

9. जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो वर्ष 2019–2020 अथवा जीवन भर के लिए मान्य हो।

10. फर्म की विगत दो वर्षो की आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड नं0 की छाया प्रति।

11. जिस आपूर्तिकर्ता की दरें स्वीकृत होगी, विश्वविद्यालय के आदेश पर आपूर्तिकर्ता से मांगी गई आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध करवाया जाना होगा।

12. जिस आपूर्तिकर्ता की दरें स्वीकृत होगी उसे विश्वविद्यालय के साथ रू 100.00 के शपथ पत्र पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्तें विश्वविद्यालय निर्धारित करेगा।

13. वाहन का मॉडल **31 मार्च 2019** के पश्चात का होना चाहिए।

14. बिल भुगतान हेतु माहवार प्रस्तुत किये जायेंगे, यदि बिल माहवार प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे तो भुगतान के विलम्ब हेतु सम्बन्धित फर्म ही उत्तरदायी होगी।

15. आपूर्तिकर्ता द्वारा वाहन देहरादून/टिहरी तथा अधिकतम वाहन विश्वविद्यालय के परिसर ऋषिकेश में उपलब्ध कराये जाने होंगे। जैसे कि विश्वविद्यालय स्तर मुख्यालय तथा ऋषिकेश परिसर से वाहन मॉग की जायेगी तो वाहन स्वामी ऋषिकेश परिसर से ही वाहन का चार्ज करेगा यदि विश्वविद्यालय मुख्यालय टिहरी से वाहन की मॉग की जाती है तो वाहन का किराया विश्वविद्यालय मुख्यालय से ही देय होगा।

16. वाहन को विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार दो घण्टे के अर्न्तगत उपलब्ध कराना होगा, चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा वाहन परीक्षाओं के संपादन हेतु लिए जा रहे हैं, परीक्षा कार्यों के मध्येनजर सम्बन्धित फर्म को तत्काल (02 घण्टे के

अन्तर्गत) उपलब्ध कराना होगा। यदि वाहन स्वामी द्वारा वाहन निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराया जाता है तो परीक्षा में हुई क्षति को सम्बन्धित फर्म के बिलों से रू0 5000/–प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी, जो कि फर्म को मान्य होगी। इस शर्त में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नही होगी।

17. फर्म द्वारा आर0टी0ओ0 कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

18. फर्म द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी राजकीय विभाग/संस्थान द्वारा डिबार नही किया गया है।

19. फर्म द्वारा प्रश्नगत कार्य का कम से कम 01 वर्ष का किसी राजकीय विभाग या विश्वविद्यालय में कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना आवश्यक होगा।

20. पंजीकरण प्रपत्र के साथ स्वप्रमाणित फोटोग्राफ एंव फर्म की मुहर भी संलग्न करना आवश्यक है। सभी लिखित सूचनाऐं स्वहस्ताक्षरित/स्वप्रमाणित होगी और फर्म की मुहर भी लगायी जानी आवश्यक होगी।

21. विश्वविद्यालय को बिना कारण बताये पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार होगा। विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र टिहरी होगा।

22. फर्मों को मैदानी/पर्वतीय क्षेत्र में जो उत्तराखण्ड परिवहन विभाग की दरें होगी उन्ही दरों के अधीन आपूर्तिकर्ताओं पर विचार किया जायेगा। परिवहन द्वारा निर्धारित दरों के उपर विचार नही किया जायेगा। **उस फर्म को वरियता दी जायेगी जिसकी दरे उत्तराखण्ड परिवहन विभाग की दरों से कम होगी। विशेष परिस्थितियों में सामान्य बाजारी दरें ही स्वीकार की जायेंगी।**

23. सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग अथवा अभिहित केन्द्रीय क्रय संगठन द्वारा सामान्य रूप से राज्य सरकार के उपयोग में आने वाली सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये विश्वसनीय सामग्री अधिप्राप्ति के स्रोतों को स्थापित करने हेतु सामग्रीवार पात्र एवं सक्षम आपूर्तिकर्ताओं की सूचियां तैयार कर रखी जायेंगी। सम्बन्धित विभाग इन सूचियों का आवश्यतानुसार उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार के अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को "पंजीकृत आपूर्तिकर्ता" कहा जायेगा। इस प्रकार के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता ही सीमित निविदा प्रकिया के माध्यम से सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु प्रथम दृष्टया पात्र होंगे। ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सामान्यतः निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछित धरोहर धनराशि में छूट प्रदान की जायेगी।

24. आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकृत करने से पूर्व उनकी आम ख्याती, विनिर्माण क्षमता, गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली, पूर्व के कार्यों (परफारमेंन्स) (जिस सामग्री की आपूर्ति की

जानी हो के लिये) विक्रय के बाद दी जाने वाली सेवाओं, वित्तीय पृष्ठभूमि आदि का सर्तकता से सत्यापित किया जायेगा।

25. आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण सामग्री की प्रकृति के आधार पर निर्धारित अवधि (एक वर्ष से तीन वर्ष तक) के लिये किया जायेगा। इस निश्चित अवधि के बाद इच्छुक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये नये सिरे से आवेदन करना होगा। पंजीकरण हेतु नये आपूर्तिकर्ताओं पर भी किसी भी समय विचार किया जा सकेगा, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि वह अपेक्षित शर्तें पूरी करते हों।

26. सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के कार्यों (परफारमेंन्स), आचरण आदि पर निगरानी रखी जायेगी:

परन्तु यह कि यदि कोई पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पंजीकरण की शर्तों का अनुपालन करने अथवा सामग्री की समय से आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करता है अथवा किसी सरकारी एजेन्सी को गलत घोषणा/तथ्य प्रस्तुत करता है अथवा राज्य सरकार की दृष्टि में कोई अन्य आधार, जो जनहित में न हो तो उसे आपूर्तिकर्ता(कर्ताओं) की अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।

27. विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण के उपरान्त समान दरें प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर चक्रानुक्रम में वाहनों को किराये हेतु आदेश दिया जायेगा।

28. कार्यालय की मांग पर सेवा प्रदात्ता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के समस्त प्रपत्र यथा पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैद्य होने चाहिये । उक्त सभी सम्बन्धित व्यय निविदादाता फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।

29. वाहन पर तैनात वाहन चालक, वैद्य व्यावसायिक लाइसेंस धारक होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी व अनुशासित होना चाहिए। वाहन चालक का बीमा एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसी प्रकार वाहन चालक का स्वास्थ्य खराब होने अथवा सेवायें संतोषजनक न होने पर चालक को तुरन्त बदलना होगा।

30. सफल निविदादाता द्वारा केन्द्र के सक्षम अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी के कार्य–आदेश प्राप्त होने पर ही केन्द्र द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित वाहन ही उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा। केवल आपातिक परिस्थितियों में ही सक्षम प्राधिकारी/अधिकृत अधिकारी के मौखिक/टेलिफोनिक आदेश पर वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा और ऐसे अपवादात्मक (ऐक्सेप्सनल) मामलों में भी यह सुनिश्चित

किया जायेगा कि शीघ्रातिशीघ्र कार्योत्तर स्वीकृति सम्बन्धी आदेश प्राप्त कर लिया जाय।

31. निविदादाता फर्म के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद लम्बित न हो।

कुलसचिव

तकनीकी विड
पंजीकरण प्रपत्र

नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ चस्पा करें।

1– फर्म/मालिक का नाम..
....
2– आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं पता..
....
....

3– दूरभाष नम्बर/ई0मेल0 आई0डी0..

4– फर्म का पंजीकरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)...

5– फर्म/मालिक का पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)..

6– वर्ष 2019–2020 के सर्विस टैक्स/जी0एस0टी0 जमा किये जाने सम्बन्धी चालान की प्रति संलग्न करें..

7– पंजीकरण प्रपत्र राशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट संख्या..दिनांक.......................

8– धरोहर राशि का विवरण–बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 संख्या...

दिनांक–..धनराशि..

9– फर्म का दो वर्षो का वार्षिक (प्रति वर्ष) टर्न ओवर रू0 5.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) से अधिक होना आवश्यक है। छायाप्रति संलग्न करें..

10– आयकर विवरण प्रमाण पत्र संलग्न करें..

11– फर्म/मालिक का रू0 8.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) का हैसियत प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत छः माह से पुराना न हो। प्रमाण पत्र संलग्न करें...

12– शपथ–पत्र।
13– अनुभव प्रमाण–पत्र।
14– आर0टी0ओ0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र।
15– चरित्र प्रमाण पत्र।
16– फोटो।

दिनांक–..............................

हस्ताक्षर.
फर्म/मालिक
पूरा पता..
..
मुहर..

वित्तीय विड

पंजीकरण प्रपत्र

1– फर्म/मालिक का नाम...

2– आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम एवं पता...

....

....

......

3– दूरभाष नम्बर/ई0मेल0 आई0डी0...

4– फर्म/मालिक द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों का किराया तेल एवं समस्त व्यय सहित प्रति कि0मी0 दर से निम्नवत् वाहनों के सम्मुख अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय, समस्त स्तम्भ की दरें अंकित की जानी अनिवार्य है।

क्र0स0	वाहन का मॉडल	दर अंको में	दर शब्दों में
01	ट्रक 407 डीजल चलित		
02	यूटिलिटी डीजल चलित		
03	टाटासूमो/मैक्स/बुलेरों डीजल चलित		
04	इण्डिगों		
05	इनोवा		
06	स्कार्पियों		
07	स्वीफ्ट डिजायर		
08	मारूति–अल्टो		

मेरे द्वारा पंजीकरण की समस्त शर्तो को भली–भांति पढने के पश्चात् दरें दी गयी है। यदि मेरी दरें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो मैं विश्वविद्यालय शर्तो के अनुरूप समय–समय पर मांग के अनुसार वाहन उपलब्ध करा दूंगा।

दिनांक–..............................

हस्ताक्षर..

आपूर्तिकर्ता का नाम.............................

पता...

....

....